

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा  
आदेश

कुमारी संजु रानी, लिपिका, मुख्यालय का दिनांक 06.06.2022 से 01.07.2022 तक 26 दिन का अर्जित अवकाश हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2016 के उप-नियम 35 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। कर्मचारी के उक्त अर्जित अवकाश के दौरान श्री सचिन, लिपिक की अतिरिक्त तौर पर ड्यूटी लगाई जाती है।

चण्डीगढ़, दिनांक  
01.06.2022

धीरेन्द्र खड़गटा, आई०ए०एस०  
निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पू० कमांक ए०-2022/58217-2०

दिनांक 10.06.22

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक-कम-डी०डी०ओ०, मुख्यालय।
2. कुमारी संजु रानी, लिपिका, मुख्यालय
3. श्री सचिन, लिपिक, मुख्यालय।
- ✓ 4. आई.टी.सेल, मुख्यालय।

4/5/22

SA/IE

Ankita  
4/7/22

Ruog

*Ankita*

अधीक्षक(प्रशा०-१)

कृते: निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।